अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

No 1870

क्र.अविविनिलि / अ.एवं प्र.नि / अअ(योजना) / प. / प्रे. दिनांक 16 JUL 2002

आदेश – 259.

विषय: कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय सस्करण) के पैरा 18 (स) तथा आदेश संख्या वाणिज्य–अज–21 प्रे. 2094 दिनांक 16.03.2001 में कृषि कनेक्शन को उसी गाँव अथवा साथ के गाँव में स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है। उक्त प्रावधान को विलोपित कर एवं आदेश क्रमांकः–अविविनिलि / अ.प्र.नि. / अअ(योजना) / प्रे. 1377 दिनांक 18.6.2002(आर.ई–अज–30)को संशोधित करते हुए निम्नानुसार नवीन आदेश जारी किये जाते है।

1. यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वही रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुंआ खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज़ पर आवंटन होने पर भी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा।

2. पूर्व में कृषक सिर्फ स्वयं के नाम की अथवा उसके वारिस के नाम की जमीन पर ही कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करवा सकते थे। अब उसे और उदार करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि कुंआ सूख जाने की स्थिति में एक स्थान से कनेक्शन दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी में मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है

26/Tanwar/Steno/F.RE-circular

जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता / उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है।

3. अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण श्रेत्रों में जिन कृषकों के खेत में कुंआ सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुंआ अपनी जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) में खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते है, उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपना कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में शिफ्ट करवा सकते है।

4. उपरोक्त सभी कनेक्शनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंआ सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरंपच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो। साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगें कि पूर्व कुंअे के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी. /एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMENTLE) कर स्टोर में जमा कर दिये गये हैं। इस प्रकिया के पश्चात ही सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगें।

5. यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड मे स्थानान्तरित किया जाना हो तो उस दशा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उसी उपखण्ड में जमा करवानी होगी जहां पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया जाना है। इस दशा में नवीन कुऐं का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड मे कार्यवाही के लिये फाइल को भेजा जायेगा तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर एच.टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि को एवं उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्रावली सहित नये उपखण्ड में भेज दिया जायेगा। नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जायेगा। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड नहीं घटाया जायेगा। इसके पश्चात अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेकर, निम्नानुसार खर्चा वसूल करके, नया उपभोक्ता नम्बर देकर, कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जाये :–

o कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से निम्न प्रकार लिये जायेगें:–

1– पुरानी 11 के.वी./ एल.टी. लाईन को हटा कर नई जगह पर लगाने के लिए पोल की कीमत, पूरी कीमत की एक तिहाई दर से चार्ज

की जायेगी। वर्तमान में एक पोल के 90 मीटर के स्पॉन के रूपये 11,000/– है। नई जगह पर अतिरिक्त लाईन के खर्चे की पूर्ण वसूली आदेश संख्या आर.ई–अज–24 प्रे. 6807 दिनांक 22.3.2002 के अनुसार की जायेगी।

2– सब–स्टेशन / ट्रान्सफार्मेशन चार्जेज रूपये 1450/– प्रति हार्स पावर समस्त उपभोक्ताओं से लिया जावेगा।

3– यदि 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो उस पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कनेक्शन उसी लाईन (Same Line) पर स्थानान्तरित किया जाना हो तो कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि, ... ।
2. उप मुख्य अभियन्ता (सी.एम.एण्ड वा.), अ.वि.वि.नि.लि, ... ।
3. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि, ... ।
4. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि, ... ।
5. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता (केन्द्रीय सतर्कता)ए अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. लेखाधिकारी (आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ... ।
9. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

16/7/02
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

26/Tanwar/Steno/F.RE-circular

50